"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 287] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 11 जुलाई 2017 — आषाढ़ 20, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 10 जुलाई 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ–10–50/2017/वाक/पांच (92). – छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 7 सन् 2017) की धारा 68 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 138 के अनुसरण में, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, ऐसे समय तक जब तक कि ई–वे बिल प्रणाली परिषद् द्वारा विकसित और अनुमोदित नहीं की जाती है, निम्न दस्तावेजों को विनिर्दिष्ट करती है, जिन्हें प्रवहन का प्रभारी व्यक्ति मालों के परेषण को ले जाने के दौरान अपने पास रखेगा :–

(i) बीजक/कर बीजक या चालान जिसमें परेषक तथा परेषिती का जीएसटीआईएन (यदि कोई हो), परेषक तथा परेषिती का पूरा पता, अभिवहन किए जा रहे माल की मात्रा/वजन, कुल मूल्य।

(ii) परिवहनकर्ता द्वारा जारी चालान या बिल्टी।

2. यह अधिसूचना जारी दिनांक से प्रवृत्त होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 10 जुलाई 2017

क्रमांक एफ–10–50/2017/वाक/पांच (92). – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10–50/2017/वाक/पांच (92),दिनांक 10–07–2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 10th July 2017

NOTIFICATION

No. F-10- 50/2017/CT/V (92). — In exercise of the powers conferred by Section 68 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 7 of 2017) and in pursuance of rule 138 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017, the State Government hereby, till such time as an E-way bill system is developed and approved by the Council, specifies following documents, which shall be kept with in-charge of the vehicle carrying goods :-

(i) Invoice/Tax Invoice or Challan with GSTIN (if any) of consignor and consignee, complete address of consignor and consignee, quantity/weight of goods, Total value of goods.

(ii) Challan or bilty issued by the transporter.

2. This notification shall take effect from the date of issue.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2017